International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume VI, Issue VI, December 2019 Available online at: www.ijaur.com

प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम : एक रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम

पूर्णिमा कुमरे
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग,
शासकीय शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

सारांश– जुलाई 2015 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2020 तक एक करोड़ युवकों को प्रशिक्षण देना है ताकि वे अपने स्वयं के लिये रोजगार के साधन स्वयं तलाश सकें। इस प्रशिक्षण से यह आशा की गई कि 2022 तक 40.2 करोड़ युवकों को प्रशिक्षण का लाभ दिया जायेगा।

भारतीय लोगों को प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार और कार्यक्षेत्र में अवसर पैदा करना है और क्षेत्रों को अधिक विकसित करना है जो पिछले कई वर्षों से कौशल विकास के अन्तर्गत रखे गये हैं।

कौशल विकास का उद्देश्य घरेलू एवं विदेशों में रोजगार सुविधा उपलब्ध कराने की है लेकिन युवा विदेश जाने का व्यय वहन नहीं कर सकते, परम्परागत व्यवसायों में आधुनिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, युवाओं को परिश्रम करके रोजगार पाना स्वीकार्य नहीं है, वे केवल नौकरी के लिये तैयार हो सकते हैं, स्व–रोजगार योजना के लिये नहीं।

परम्परागत उद्योग में लगे लोगों के बच्चों को उन्हीं उद्योगों का प्रशिक्षण देना श्रेष्ठ होगा। प्रशिक्षित युवकों को ऋण के साथ–साथ भूमि, मशीन, कच्चा माल, तकनीकी यंत्र एवं उत्पाद की बिक्री के लिये सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक वृहद एवं महत्वपूर्ण योजना है।

मुख्य शब्दः– प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार।

प्रस्तावनाः–

भारत सरकार ने भारत में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया है। जुलाई 2015 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2020 तक एक करोड़ युवकों को प्रशिक्षण देना है ताकि वे अपने स्वयं के लिये रोजगार के साधन स्वयं तलाश सकें। इस योजना का यह भी उद्देश्य है कि जो कम पढ़े–लिखे एवं बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं वे भी प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार चला सकें। योजना के तहत 3 महीने, 6 महीने और 1 वर्ष के लिये पंजीयन होता है। कोर्स पूरा कर लेने पर प्रदान किया गया प्रमाण–पत्र पूरे देश में मान्य है। योजना के अन्तर्गत पहले वर्ष में 24 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य था तथा वर्ष 2022 तक 40.2 करोड़ तक ले जाने की है। इस योजना में अधिक से अधिक जोड़ने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त युवकों को स्वरोजगार हेतु ऋण देने का प्रावधान है।

शोध–प्रविधि :–

शोधकार्य का आधार द्वितीयक समंक है जो सरकारी सूचनाओं, कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों व इण्टर नेट द्वारा प्राप्त जानकारियां है। योजना संबंधी जानकारी प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा जुटाई गई है। शोध का निष्कर्ष शोध–विधियों द्वारा निकाला गया है।

परिकल्पना :–

- देश के लाखों बेरोजगार लोगों को उचित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- कौशल विकास कार्यक्रम हेतु युवकों में इस तरह प्रयास करना कि उन्हें रोजगार मिल सके और साथ ही साथ उद्यमिता के क्षेत्र में आवश्यक सुधार हो।
- कौशल विकास कार्यक्रम में सामान्यतः युवक नहीं जुड़ रहे हैं।
- बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है।
- प्रशिक्षण के उपरान्त ऋण सुविधा स्पष्ट नहीं है।
- परम्परागत व्यवसाय को प्रशिक्षण के माध्यम से सभी कारीगरों को समर्थन एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान कराना।
- प्रशिक्षण प्रक्रिया को मानकीकृत एवं प्रमाणिक कराया जाना ताकि ''ग्रामीण भारत कौशल'' कार्यक्रम की एक उल्लेखनीय पहचान हो सके।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जिससे देश के युवा घरेलू मांगों के साथ–साथ, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वास्तविक पहचान बनाने में सफल हो।
- कौशल विकास कार्यक्रम अभी अपर्याप्त एवं शून्य है।
- कौशल भारत के पाठ्यक्रम अभी अपर्याप्त एवं शून्य है।

- कौशल भारत के पाठ्यक्रम की पद्धति नवीन है, जिससे व्यवहारिक, अनुभव एवं अध्ययन पर जोर देना।

उद्देश्य :–

- कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत अध्ययन करना।
- कौशल विकास के माध्यम से भारत के युवकों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- कौशल विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।
- कौशल विकास कार्यक्रमों को अधिक विकसित करना।
- कौशल विकास प्रशिक्षण की कठिनाईयों एवं समस्याओं का निराकरण करना।
- कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु नये क्षेत्रों की पहचान करना।
- अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ने को प्रोत्साहित करना।

विषय–विश्लेषण :–

भारत एक विशाल देश है। इसकी विकास यात्रा में 'बेरोजगारी' की समस्या प्रमुख रूप से आड़े आती है। आजादी के बाद से रोजगार दिलाने हेतु जो भी कार्यक्रम अपनाये गये वे सफल नहीं हुये तथा बेरोजगारी की दर क्रमशः बढ़ती गई। इस प्रकार भारत की सकल उत्पाद क्रमशः घटते–घटते 5.7 प्रतिशत तक आ गई, जो चिन्तनीय विषय है।

बेरोजगारों के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण देकर उन्हें वांछित रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष जुलाई 2015 से शुरू की गई। कई महीनों की अवधि की प्रशिक्षण कार्यक्रम है तथा आशा की गई कि 2022 तक 40.2 करोड़ युवकों को प्रशिक्षण का लाभ दिया जायेगा। लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिये मोबाइल कम्पनियां मैसेज द्वारा सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। लोगों को एक टोलफ्री नंबर दिया जाता है जिस पर युवक को मिसकाल देना होता हैं मिसकाल के तुरन्त बाद एक नम्बर से फोन आता है जो युवक को आई.बी.आर. सुविधा से जोड़ देता है। प्रार्थी को अपनी जानकारी निर्देशानुसार भेजनी होती है जो कौशल विकास योजना के सिस्टम में सुरक्षित रख ली जाती है। इसके बाद आवेदनकर्ता को उसके निवास के आस–पास ट्रेनिंग सेन्टर से जोड़ दिया जाता है।

कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ :–

- कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से आमजन का आत्मविश्वास बढ़ाने एवं उनकी उत्पादकता हेतु उचित दिशा निर्देश प्रस्तुत करना।
- कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से युवकों में श्रम कार्य में सक्षमता प्राप्त होगी।
- युवकों को अध्ययन के समय उचित रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।
- कौशल विकास कार्यक्रम में युवकों को सभी नौकरियों में समान महत्व प्राप्त होगा।
- युवकों को बेहतर कौशल का प्रशिक्षण दिया जाकर एक बढ़िया एवं सभ्य जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा।
- युवकों को कौशल विकास के लिये सरकारी, गैर–सरकारी संगठन, अकादमिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान और समाज सहयोग एवं सहायता करके सीमित समय में बेहतर परिणाम प्राप्त होगा।

कौशल विकास योजना के उद्देश्य –:

भारतीय लोगों को प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार और कार्यक्षेत्र में अवसर पैदा करना है और उन क्षेत्रों को अधिक विकसित करना है जो पिछले कई वर्षों से कौशल विकास के अन्तर्गत रखे गये हैं। इसके साथ ही कौशल विकास के नये क्षेत्रों की पहचान करना भी है। युवाओं को रोजगार देने के लिये विभिन्न योजनायें प्रस्तावित है।

योजना की विशेषताएँ :

- युवाओं में प्रशिक्षण, रोजगार दिलाने एवं उद्यमिता में सुधार करना है।
- परम्परागत व्यवसायों के लिये आधुनिक प्रशिक्षण द्वारा उन्हें मार्गदर्शन देना।
- कौशल विकास का अपर्याप्तता या शून्य की दशा में अधिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना है, जैसे– अचल सम्पत्ति, निर्माण, परिवहन कपड़ा उद्योग, मणि उद्योग, आभूषण डिजाइनिंग, बैंकिंग पर्यटन और अन्य कई वास्तविक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाय।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का होगा ताकि प्रशिक्षित युवा अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपना कारोबार कर सके।
- इस कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता ''ग्रामीण भारत कौशल'' नामक एक पहचान बनाने के लिये होगी ताकि प्रशिक्षण प्रक्रिया को मानवीकृत एवं प्रमाणित किया जा सके।

कठिनाईयाँ :–

- कौशल विकास का उद्देश्य घरेलू एवं विदेशों में रोजगार सुविधा उपलब्ध कराने की है लेकिन युवा विदेश जाने का व्यय नहीं वहन कर सकते।
- परम्परागत व्यवसायों में आधुनिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
- युवाओं को परिश्रम करके रोजगार पाना स्वीकार्य नहीं है, वे केवल नौकरी के लिये तैयार हो सकते हैं, स्व–रोजगार योजना के लिये नहीं।
- बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधायें अपर्याप्त एवं संदेहात्मक है।

सुझाव :–

- परम्परागत उद्योग में लगे लोगों (श्रमिकों) के बच्चों के लिये उन्हीं उद्योगों का प्रशिक्षण देना श्रेष्ठ होगा।
- कौशल विकास कार्यक्रम को शहरों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार करना चाहिए।
- योजना के प्रारंभ से अब तक प्रशिक्षित युवकों को ऋण के साथ–साथ भूमि, मशीन, कच्चा माल, तकनीकी यंत्र एवं उत्पाद की बिक्री के लिये सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।
- नये युवकों को जोड़ने के लिये विशेष प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है एवं प्रशिक्षण को रोचक बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु उपयोगी एवं अनिवार्य प्रशिक्षण देना चाहिए।
- शासकीय विभागों, उपक्रमों आदि में प्रशिक्षित युवकों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :–

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक वृहद एवं महत्वपूर्ण योजना है। इसका संचालन पर्याप्त सुविधाओं के साथ, सतर्कता एवं सचेतता के साथ करने पर युवाओं को वास्तविक लाभ प्राप्त होगा तथा भारत में बेरोजगारी दूर करने में यह कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रन्थ :–

1. रीवा जिले का वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य एवं वर्ष 2020 की परिकल्पना, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रीवा (म. प्र.)।
2. जिला व्यापार एव उद्योग केन्द्र रीवा द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनायें।
3. सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, साहित्य भवन आगरा, वर्ष 2013
4. प्रतियोगिता दर्पण, योजना
5. इन्टरनेट।
6. समाचार पत्र एवं दूरदर्शन।
7. लेटेस्ट प्राफीटेबल होम कॉटेज एण्ड स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज – विकास अग्रवाल, हंस कान्सलटेन्सी ब्यूरो नई सड़क, दिल्ली।
8. आगे आयें लाभ उठायें, आयुक्त जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।